



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052021-226813
CG-DL-E-01052021-226813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1594]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/वैशाख 10, 1943

No. 1594]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/VAISAKHA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

का.आ. 1718(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1877 (अ), तारीख 9 जून, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 9 जून, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में 1991 में बनाया गया था, जिसका क्षेत्रफल 31.0 वर्ग किलोमीटर है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूएल/डी/43/92/1133-68, दिनांक 11 अप्रैल, 2007, के तहत अधिसूचित किया गया है, जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक समृद्ध जैव विविधता रूपी उपहार है;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम सियांग जिला के अर्ध सदाबहार वन की तलहटी में स्थित है, जिसमें उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन सम्मिलित हैं, अभयारण्य के क्षेत्र में बीहड़,

पहाड़ी के साथ कुछ खड़ी ढलानों के साथ सिरी (जिआधोल) नदी और कई नालें और नदियों की सहायक नदियां दिखाई देती हैं;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य जीव-समूह और जैव-विविधता को सुरक्षित रखता है, और विभिन्न वनस्पति, जीवजंतु, ट्रेपेटो-जीवजंतु और पक्षी-जीवजंतु प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है। अभयारण्य में मुख्य वनस्पति प्रजातियां एल्बिजिया प्रोकेरा (कोरोई), बॉम्बेक्स सीइबा (सिमुल), किदिया कलसीना (पिछोला), यूरिया कोअता (सोकामारा), मोरस लविगेटा (बोला), फिकस डुमोसा (डिमरू), अमोरा वाल्लिची (अमारी), डायसॉक्सिलुम गोबेरा (बंदेरदीमा), स्ट्रेकुलिया विल्लोसा (उदाल), अबरोमा औगूस्ता (बोन कोपाही), पतरस्पेर्मुम अकेरिफोलियम (हति पोलिया), डिल्लेनिया इंडिका (आउटेंगा), एलस्टोनिया स्कोलर्स (सतिअना), वाटिका लांकेफोलिया (मोरहाल), बिस्कोफिआ जावोनिका (उरिउम), स्टरोस्पर्मम पर्सोनातूम (परोली), ओरोक्सिलम इंडिकम (भाटगिला), एरीथ्रीना स्टीकटा (मादर), दुअभानगा ग्राण्डीफ्लोरा (खोकन), किन्नामुम तमालूम (तेजपता), लिटेसिया सैलिकिफोलिया (दीग्लोटी), जेमिलिया आर्बोरिया (गमेरी), कैलिकर्पा अर्बोरिया (गुमाला), लापोर्टिया क्रैनुलाटा (चोरात), पोगोस्टमैन बेंगलेंसिस (सूखती), सोलानुम निगरूम, मुसा परसीदेका (वाइल्ड बानाना), पैदानुस फोएटिडस (केवरा), अल्पिनिया एल्लुगुस (तारागुंच), इम्पेराटा सिलिंड्रिकल (थातच), विटिवेरिया जिज़ानोइज़ (ब्रिगा), टेमिनलिया मायिरोकार्पा, ऐलन्थस एक्सेलसा, आर्टोकार्पस चाप्लासा, कैनरियम स्ट्रिक्टुम, क्वेरसुस लालीसा, कास्टोनोसिस इंडिका, फोइबे गोअलपारेंटस, क्वेरसुस स्प. और सिज़िगियम मकारोकारपुम, आदि पाई जाती हैं;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य जंगली पशुओं की कई प्रजातियों जैसे मानिस पेंटेडैक्टाइल (चिनेसे साल), तलपा लेउकुरा (वाइट टेल्ड मोले), क्रोकिधुरा अट्टेनुअटा (ग्रे श्रेव), तुपिया बेलांगरी (ट्री श्रेव), मारकोगलोस्सुस सोबरिनुस (लॉंग टंग्ड हील्ल फ्रूट बेट), न्यक्तिसेबुस कोकांग (लजीला वानर), मकाका अस्सामेंसिस (असमिया मैकक्वे), त्रच्यपिटच्युस पिलेअटस (केपड लंगुर), कुओन अल्पाइन (जंगली कुत्ता), उरसुस थिबेटनुस (एशियाई काला भालू), मारटेस फ्लैविगुला (येलो थ्रोटेड मार्टिन), लुतरा लुतरा (सामान्य ओटर), फेलिस चाउस (बनबिलार), विवेरा जिबेथा (लार्ज भारतीय गंध बिलाव), पैराडॉक्सुरस हेर्माफ्रोडीटीएस (सामान्य पाम गंध बिलाव), हेरपिस्टस एडवर्डसी (ग्रे नेवला), पैराडॉक्सुरस बेंगलेंसिस (तेंदुआ बिल्ली), परडोफिलिस मारमोरता (सिकमार), पेन्थेरा प्रड्यूस (तेंदुआ), पेन्थेरा टिगरिस (बाघ), एलेफस मैक्सिमस (हाथी), सुस स्क्रोफा (जंगली सुअर), मुन्टिएक्स मुन्तजक (मुंजक), नेमोरहेडस सुमात्राएंसिस (हिमालयन सेरोव), रतुफा बिकलोर (मालापत विशाल गिलहरी), कल्लोस्किरुस पाइरिथस (होरी-बेल्लीइड गिलहरी), ड्रेमोमिस लोकेरिह (ऑरेंज-बेल्लीइड हिमालयन गिलहरी), पेटाउरीस्टा पेटाउरीस्टा (सामान्य उडन गिलहरी), बंडिकोटा इंडिका (लार्ज बैडिकूटा रेट) और हिस्ट्रीक्स बराच्युराण (चीनी साही), आदि का वास है;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य में आवासी और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां हैं जिसमें लोफुरा लेउकोमेलानोस (कलीज तीतर), पिकस फ्लाविनुचा (ग्रेटर येलो नेप कठफोड़वा), मेगालाइमा लिनेअटा (लिनेअटेड बारबेट), हैलियोन कोरोमांडा (रूडी किंगफिशर), सेंट्रोपस बेंगलेंसिस (लेस्सेर कोउकल), ओटस स्पिलोकेफलस (माउंटेन स्कोपस आउल) और दुकुला बाडिया (माउंटेन इम्पेरियल कबूतर), आदि सम्मिलित हैं;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य अभयचरों सहित मोटे तौर पर सरीसृपों को सुरक्षित रखता है और उभयचरों को आश्रय प्रदान करता है जिसमें दुट्टाफरयनुस मेलानोस्टीक्टस (सामान्य टोड), हयला अन्नेकटांस (भारतीय हायलिड मेंढक), मिक्रोहयला ओरनाटा (ओरनामेटल पिगमय मेंढक), अमोलाप्स आसामेस (असमिया कैस्केड मेंढक) और राकोफोरुस मैक्सिमस (लॉर्ज ट्री मेंढक) सम्मिलित हैं, अभयारण्य सरीसृपों के अवशेषों का आश्रय प्रदान करता है जिसमें कलोटेस स्पा., जपालुरा स्पा., वरानस स्पा., यूट्रोफिस स्पा., लैगोसोमा स्पा., पायथन स्पा., अहैतुल्ला स्पा., एमफिडस्मा स्पा., बुंगारुस स्पा., नाजा स्पा., ओफिओफागुस स्पा., कुओरा स्पा., पंगशुरा स्पा. सम्मिलित हैं, अभयारण्य में जलीय प्रजातियों जैसे डानिओ स्पा., बारिलिउस स्पा., सेमिप्लोटुस स्पा., पुंटीउस स्पा., टोर स्पा., चगुनिउस स्पा. और गर्गा स्पा. आदि को भी आश्रय प्रदान किया जाता है;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य कई संकटापन्न प्रजातियों जैसे हाथी, बाघ, रेसस मैकक्वे, हिरन, आदि को संरक्षण, सुरक्षा और आश्रय भी प्रदान करता है;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिला के केन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 0.50 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को केन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार केन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 0.50 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 6.8302 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और केन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकन केन वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध -IIक, उपाबंध -IIख और उपाबंध -IIग के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और केन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) केन वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं आता है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्योरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों

की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूर्ण और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और

राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.**- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.**- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं

		<p>होगी:</p> <p>परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।</p>
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	शिकार करना।	प्रतिषिद्ध।
11.	नदी का विषैलापन।	प्रतिषिद्ध।
12.	विस्फोटक का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
13.	अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी नए लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
14.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होगा।</p>
15.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट

		<p>हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:</p> <p>परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
16.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	<p>फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।</p>
17.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
18.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
20.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
22.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
26.	फार्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
27.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्साव के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्साव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
28.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
32.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
33.	झूम की कृषि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
34.	चाय कॉफी संपदा की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
35.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

46.	मिथुन (बोसफ्रंटेलिस) का उत्पादन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
-----	----------------------------------	----------------------------------

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पदनाम
(1)	डिप्टी कमिश्नर, पश्चिम सियांग जिला, ऐलो, अरुणाचल प्रदेश सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
(2)	अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के एक प्रतिनिधि को एक वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है।	सदस्य;
(3)	सदस्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ईटानगर	सदस्य;
(4)	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम सियांग जिला	सदस्य;
(5)	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पश्चिम सियांग जिला	सदस्य;
(6)	जिला कृषि अधिकारी, पश्चिम सियांग जिला	सदस्य;
(7)	जिला पर्यटन अधिकारी, पश्चिम सियांग जिला	सदस्य;
(8)	अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(9)	जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, पश्चिम सियांग जिला	सदस्य;
(10)	संभागीय वन अधिकारी, केन वन्यजीव अभयारण्य, लिकाबाली	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए

सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा0सं0 25/07/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


उपाबंध - I

अरुणाचल प्रदेश राज्य में केन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

केन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा केन वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर भू-निर्देशांक 94°34'59.567" पू एवं 27°38'27.108" उ में बिंदु से आरंभ होती है और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा भू-निर्देशांक 94°34'41.034" पू एवं 27°38'27.328" उ, में बिंदु के 0.5 किलोमीटर से पश्चिम की ओर जाती है, इसके बाद सीमा भू-निर्देशांक 94°34'42.234" पू एवं 27°39'41.253" उ, 94°35'13.757" पू एवं 27°39'41.167" उ, 94°36'14.409" पू एवं 27°40'4.223" उ, 94°36'46.788" पू एवं 27°41'32.882" उ, 94°36'51.414" पू एवं 27°42'10.915" उ के भू-निर्देशांक 94°38'30.609" पू एवं 27°42'9.887" उ, में बिंदु से होते हुए 0.5 किलोमीटर में अभयारण्य सीमा के समानांतर जाती है, और सीमा भू-निर्देशांक 94°38'31.637" पू और 27°41'51.552" उ, में बिंदु के 0.4 किलोमीटर से दक्षिण की ओर जाती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 94°39'30.486" पू एवं 27°41'26.2" उ, 94°40'57.089" पू एवं 27°41'11.552" उ, में बिंदु से होते अभयारण्य सीमा के समानांतर 0.1 किलोमीटर जाती है; भू-निर्देशांक 94°40'55.675" पू एवं 27°41'10.421" उ, में बिंदु से 0.05 किलोमीटर के लिए दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद यह भू-निर्देशांक 94°41'3.492" पू एवं 27°41'3.679" उ, 94°41'14.36" पू एवं 27°40'56.209" उ, 94°41'19.091" पू एवं 27°40'28.49" उ, 94°41'27.691" पू एवं 27°40'19.376" उ, 94°38'42.806" पू एवं 27°39'21.401" उ, 94°38'16.765" पू एवं 27°39'40.863" उ के 94°34'59.567" पू एवं 27°38'25.587" उ, में बिंदु से होते हुए अभयारण्य सीमा के समानांतर 0.05 किलोमीटर जाती है, इसके बाद आरंभिक बिंदु के 0.05 किलोमीटर के लिए उत्तर की ओर जाती है।


उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और केन वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र




उपाबंध - IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ केन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध - II ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ केन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध -III

सारणी क : केन वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)
1	94°34'59.538"	27°38'27.092"
2	94°35'1.633"	27°39'28.868"
3	94°35'21.919"	27°39'18.400"
4	94°36'28.199"	27°39'53.233"
5	94°37'10.160"	27°41'31.247"
6	94°36'50.900"	27°41'56.278"
7	94°38'31.826"	27°41'53.347"
8	94°38'31.826"	27°41'53.347"
9	94°39'29.423"	27°41'23.003"
10	94°40'53.911"	27°41'8.923"
11	94°40'53.911"	27°41'8.923"
12	94°41'9.388"	27°40'55.117"
13	94°41'14.744"	27°40'27.278"
14	94°41'22.636"	27°40'18.512"
15	94°38'42.731"	27°39'22.914"
16	94°38'16.652"	27°39'42.350"
17	94°34'59.538"	27°38'27.092"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)
1	94°34'41.048"	27°38'27.226"
2	94°34'42.118"	27°39'41.278"
3	94°35'13.812"	27°39'41.278"
4	94°36'14.076"	27°40'3.680"
5	94°36'46.836"	27°41'32.856"
6	94°36'51.548"	27°42'10.973"
7	94°38'30.941"	27°42'9.882"
8	94°38'31.596"	27°41'57.674"
9	94°39'30.877"	27°41'25.573"
10	94°40'57.421"	27°41'11.926"
11	94°40'55.661"	27°40'10.417"
12	94°41'11.152"	27°40'55.538"
13	94°41'15.659"	27°40'29.021"

14	94°41'24.410"	27°40'18.894"
15	94°38'42.792"	27°39'21.384"
16	94°38'16.706"	27°39'40.990"
17	94°34'59.563"	27°38'25.634"

उपाबंध -IV

की गई कार्रवाई - सम्बन्धी रिपोर्ट का रूप विधान पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 8th April, 2021

S.O. 1718(E).- WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1877(E), dated the 9th June, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 9th June, 2020;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Kane Wildlife Sanctuary in the State of Arunachal Pradesh was created in 1991 covering an area of 31.0 square kilometres notified *vide* notification of the Government of Arunachal Pradesh number CWL/D/43/92/1133-68, dated the 11th April, 2007, is gift of rich biodiversity with scenic beauty;

AND WHEREAS, the Kane Wildlife Sanctuary is situated in the foothill of semi evergreen forest of West Siang District consisting of tropical semi evergreen forests to subtropical moist forests, the area in the Sanctuary is represented by rugged, mountainous with few gentle slopes with tributary of Siri (Jiadhol) river and many rivulets and streams;

AND WHEREAS, the Kane Wildlife Sanctuary conserves the biota and its biodiversity and supports various floral, faunal, herpetofaunal and avifaunal species, the major floral species found in the Sanctuary are *Albizia procera* (Koroi), *Bombax ceiba* (Simul), *Kydia kalycina* (Pichola), *Urea Koata* (Sokamara), *Moras lavigeta* (Bola), *Ficus dumosa* (Dimaru), *Amoora wallichii* (Amari), *Dysoxylum gobera* (Banderdima), *Sterculia villosa* (Udal), *Abroma augusta* (Bon kopahi), *Pterspermum acerifolium* (Hati polia), *Dillenia indica* (Outenga), *Alstonia scholars* (Satiana), *Vatica lanceifolia* (Morhal), *Bischofia javonica* (Urium), *Sterospermum personatum* (Paroli), *Oroxylum indicum* (Bhatgila), *Erythrina stricta* (Madar), *Duabhangia grandiflora* (Khokan), *Cinnamum tamalum* (Tejpat), *Litsea salicifolia* (Digloti), *Gemilia arborea* (Gameri), *Callicarpa arborea* (Gunmala), *Laportia cranulata* (Chorat), *Pogostemon bengalensis* (Shukhati), *Solanum nigrum*, *Musa parasitica* (Wild banana), *Pandanus foetidus* (Kevra), *Alpinia allugus* (Taragunch), *Imperata cylindrical* (Thatch), *Vitiveria zizanioides* (Briga), *Terminalia myriocarpa*, *Ailanthus excelsa*, *Artocarpus chaplasi*, *Canarium strictum*, *Quercus lalisia*, *Castanopsis indica*, *Phoebe goalparents*, *Quercus sp.* and *Syzigium macarocarpum*, etc.;

AND WHEREAS, the Kane Wildlife Sanctuary is home to many species of wild animals like *Manis pentadactyla* (Chinese pangolin), *Talpa leucura* (white tailed mole), *Crocidura allenuate* (grey shrew), *Tupaia belangeri* (tree shrew), *Marcoglossus sobrinus* (long tongued hill fruit bat), *Nycticebus coucang* (slow loris), *Macaca assamensis* (Assamese macaque), *Trachypithecus pileatus* (capped langur), *Cuon alpinus* (wild dog), *Ursus thibetanus* (Asiatic black bear), *Martes flavigula* (yellow throated martin), *Lutra lutra* (common otter), *Felis chaus* (jungle cat), *Viverra zibetha* (large Indian civet), *Paradoxurus hermaphroditus* (common palm civet), *Herpestes edwardsii* (grey mongoose), *Prionailurus bengalensis* (leopard cat), *Pardofelis marmorata* (marbled cat), *Panthera pardus* (leopard), *Panthera tigris* (tiger), *Elephas maximus* (elephant), *Sus scrofa* (wild pig), *Muntiacus muntjak* (barking deer), *Naemorhedus sumatraensis* (Himalayan serow), *Ratufa bicolor* (Malayan giant squirrel), *Callosciurus pygerythrus* (hoary-bellied squirrel), *Dremomys lokriah* (orange-bellied Himalayan squirrel), *Petaurista petaurista* (common flying squirrel), *Bandicota indica* (large bandicoot rat) and *Hystrix brachyuran* (Chinese porcupine), etc.;

AND WHEREAS, the Kane Wildlife Sanctuary has many species of resident and migratory birds including *Lophura leucomelanos* (Kalij pheasant), *Picus flavinucha* (greater yellow nape woodpecker), *Megalaima lineata* (Lineated barbet), *Halcyon coromanda* (ruddy kingfisher), *Centropus bengalensis* (lesser coucal), *Otus spilocephalus* (Mountain scops owl) and *Ducula badia* (Mountain imperial pigeon), etc.;

AND WHEREAS, the Kane Wildlife Sanctuary conserves and supports the herpetofauna broadly comprising of amphibians including *Duttaphrynus melanostictus* (Common toad), *Hyla annectans* (Indian hylid frog), *Microhyla ornata* (Ornamental pigmy frog), *Amolops assamensis* (Assamese cascade frog) and *Rhacophorus maximus* (Large tree frog). The Sanctuary supports the survival of reptiles including *Calotes sp.*, *Japalura sp.*, *Varanus sp.*, *Eutrophis sp.*, *Lygosoma sp.*, *Python sp.*, *Ahaetulla sp.*, *Amphiesma sp.*, *Bungarus sp.*, *Naja sp.*, *Ophiophagus sp.*, *Cuora sp.*, *Pangshura sp.*, the Sanctuary also supports the aquatic species like *Danio sp.*, *Barilius sp.*, *Semiplotus sp.*, *Puntius sp.*, *Tor sp.*, *Chagunius sp.* and *Garra sp.* etc.;

AND WHEREAS, the Kane Wildlife Sanctuary also conserves, protect and provides shelter to many threatened species like elephants, tigers, rhesus macaque, deer, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of the Kane Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.05 kilometres to 0.50 kilometres around the boundary of the Kane Wildlife Sanctuary, in West Siang district in the State of Arunachal Pradesh as the Kane Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.05 kilometres to 0.50 kilometres around the boundary of the Kane Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 6.8302 square kilometres.

(2) The boundary description of the Kane Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as

Annexure-I.

(3) The maps of the Kane Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC.

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of the Kane Wildlife Sanctuary and the Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.

(5) There are no villages inside the proposed Eco-sensitive Zone of the Kane Wildlife Sanctuary.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj; and
- (xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as :-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.**—(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended

from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.**-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**-Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.**-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**-Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.**-Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management.**-The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management.**-The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.**-The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and

specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.**—Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) **Industrial units.**—(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.**—The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing	Prohibited.

	of any hazardous substances.	
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
10.	Hunting.	Prohibited.
11.	River poisoning.	Prohibited.
12.	Use of explosives.	Prohibited.
13.	Establishment of new wood based industries within one kilometer from the boundary of the Sanctuary.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
14.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
15.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in subparagraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
16.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be

		permitted by the competent Authority.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
18.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
20.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
22.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
26.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
27.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

33.	Jhum cultivation.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Setting of tea and coffee estate.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
40.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
42.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
43.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
44.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
45.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
46.	Rearing of Mithun (<i>Bos frontalis</i>).	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(1)	Deputy Commissioner, West Siang District, Aalo, Government of Arunachal Pradesh	Chairman, ex officio;
(2)	One representative of Non-governmental Organisations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh	Member;
(3)	Member Secretary, Arunachal Pradesh State Pollution Control Board, Itanagar	Member;
(4)	Executive Engineer, Public Works Department, West Siang District	Member;
(5)	Executive Engineer, Rural Works Department, West Siang District	Member;
(6)	District Agriculture Officer, West Siang District	Member;
(7)	District Tourism Officer, West Siang District	Member;
(8)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh	Member;
(9)	District Veterinary Officer, West Siang District	Member;
(10)	Divisional Forest Officer, Kane Wildlife Sanctuary, Likabali	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure-IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/07/2015-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE KANE WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF ARUNACHAL PRADESH

The boundary of Kane Wildlife Sanctuary starts from a point at geo-coordinates 94°34'59.567" E & 27°38'27.108" N on the South-West boundary of Kane Wildlife Sanctuary and the boundary of the Eco-sensitive Zone goes Westwards from 0.5 Kilometre up to the points at geo-coordinates 94°34'41.034" E & 27°38'27.328" N, then the boundary goes parallel to the Sanctuary boundary at 0.5 Kilometre through points at geo-coordinates 94°34'42.234" E & 27°39'41.253" N, 94°35'13.757" E & 27°39'41.167" N, 94°36'14.409" E & 27°40'4.223" N, 94°36'46.788" E & 27°41'32.882" N, 94°36'51.414" E & 27°42'10.915" N up to the geo-coordinates 94°38'30.609" E & 27°42'9.887" N, and the boundary goes Southwards for 0.4 Kilometre up to the points at geo-coordinates 94°38'31.637" E and 27°41'51.552" N, then goes 0.1 Kilometre parallel to the Sanctuary boundary through points at geo-coordinates 94°39'30.486" E & 27°41'26.2" N, 94°40'57.089" E & 27°41'11.552" N, South-Westwards for 0.05 Kilometre to the points at geo-coordinates 94°40'55.675" E & 27°41'10.421" N. Then, it goes 0.05 Kilometre parallel to the Sanctuary boundary passing through the points at geo-coordinates 94°41'3.492" E & 27°41'3.679" N, 94°41'14.36" E & 27°40'56.209" N, 94°41'19.091" E & 27°40'28.49" N, 94°41'27.691" E & 27°40'19.376" N, 94°38'42.806" E & 27°39'21.401" N, 94°38'16.765" E & 27°39'40.863" N up to 94°34'59.567" E & 27°38'25.587" N, then Northwards for 0.05 Kilometre up to the starting point.


ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF THE KANE WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

**MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF THE KANE WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI)
TOPOSHEET**



ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF THE KANE WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF THE KANE WILDLIFE
SANCTUARY**

Sl. No.	Longitude (E) (DMS Format)	Latitude (N) (DMS Format)
1	94°34'59.538"	27°38'27.092"
2	94°35'1.633"	27°39'28.868"
3	94°35'21.919"	27°39'18.400"
4	94°36'28.199"	27°39'53.233"
5	94°37'10.160"	27°41'31.247"
6	94°36'50.900"	27°41'56.278"
7	94°38'31.826"	27°41'53.347"
8	94°38'31.826"	27°41'53.347"
9	94°39'29.423"	27°41'23.003"
10	94°40'53.911"	27°41'8.923"
11	94°40'53.911"	27°41'8.923"
12	94°41'9.388"	27°40'55.117"
13	94°41'14.744"	27°40'27.278"
14	94°41'22.636"	27°40'18.512"
15	94°38'42.731"	27°39'22.914"
16	94°38'16.652"	27°39'42.350"
17	94°34'59.538"	27°38'27.092"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Longitude (E) (DMS Format)	Latitude (N) (DMS Format)
1	94°34'41.048"	27°38'27.226"
2	94°34'42.118"	27°39'41.278"
3	94°35'13.812"	27°39'41.278"
4	94°36'14.076"	27°40'3.680"
5	94°36'46.836"	27°41'32.856"
6	94°36'51.548"	27°42'10.973"
7	94°38'30.941"	27°42'9.882"
8	94°38'31.596"	27°41'57.674"
9	94°39'30.877"	27°41'25.573"
10	94°40'57.421"	27°41'11.926"
11	94°40'55.661"	27°40'10.417"
12	94°41'11.152"	27°40'55.538"

13	94°41'15.659"	27°40'29.021"
14	94°41'24.410"	27°40'18.894"
15	94°38'42.792"	27°39'21.384"
16	94°38'16.706"	27°39'40.990"
17	94°34'59.563"	27°38'25.634"

ANNEXURE –IV**Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.